Spl.Case No.152/ 2021
State Vs Dinesh Kumar
u/s 354, 342, 504 I.P.C.
3(2)(va) SC/ST Act

UPPB010007242021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 152/2021

उत्तर प्रदेश राज्य.....अभियोजन पक्ष।

प्रति

दिनेश कुमार पुत्र प्रेमशंकर निवासी बिठौराकला, थाना गजरौला, पीलीभीत।

धारा 354, 342 व 506 भा.द.स.
धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम
थाना– गजरौला
जिला– पीलीभीत।

निर्णय

(1) इस विशेष सत्र परीक्षण में अभियुक्त दिनेश कुमार का धारा 354, 342 व 504 भा.द.स. व धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत आरोपित अपराध हेतु विचारण किया गया है।

(2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी रामश्री द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)द.प्र.स. इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि घ ाटना दिनांक 10.02.2020 समय करीब 11 बजे दिन में उसको दिनेश कुमार पुत्र प्रेमशंकर ने अपनी दुकान पर बुलवाया और वही अंदर ले जाकर बैठा दिया और बोला तुम्हें मैंने इसलिए बुलवाया है कि मु.अ.सं. 285/2019 में तुमने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया था, उसमें राजीनामा ले लो। राजीनामा के बदले चालीस हजार रूपये दे दूंगा। तभी उसने कहा हम अपनी इज्जत को रूपये से नहीं बेच सकते, तभी दिनेश कुमार उठ खड़ा हुआ और तमंचा दिखाकर सादा कागजों पर अंगूठा व हस्ताक्षर कराने की कोशिश करने लगा। उसके हस्ताक्षर न करने पर उसको दुकान में बंद करके अश्लील हरकते करने लगा। उसने शोर मचाने की कोशिश की, तभी उक्त दिनेश बोला कि साली चमट्टी तुझे और तेरे पुत्रों को जान से मार दूंगा। उसने डर की वजह से शोर नहीं मचाया और दिनेश ने उसके साथ अश्लील हरकते करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा, इतने में दुकान के दरवाजे पर बैठा एक अज्ञात व्यक्ति जो उसको गंदी गंदी गलियां देते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने लगा, उसने भी उसको धमकाया। उसने किसी तरह से शोर मचा दिया। शोर पर आस पड़ोस के लोग आ गये, जिन्होंने घटना को देखा और उसको बंधकमुक्त कराया, तभी दिनेश कुमार कहने लगा कि साली चमट्टी आज तो बच गई, आइन्दा मौका मिला, तो तुझे जान से मार दूंगा। घटना के बाद वह थाना गजरौला गई, वहां एक प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उसने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत को दिनांक 13.02. 2020 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिया।

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.03.12 16:32:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

(3) वादिनी के उक्त प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2020 को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर थानाध्यक्ष गजरौला को अभियोग पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना गजरौला द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.07.2020 समय 16:30 बजे, अंतर्गत धारा 354, 342, 504 व 506 भा0द0स0 व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण दिनेश कुमार व अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 161 व 164 द.प्र.सं. में घोर विरोधाभास होने व मु.अ.सं. 285/19 अंतर्गत धारा 376डी भा.द.सं. व धारा 3(2)(5) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अवलोकन से वादिनी रामश्री द्वारा अरूण, जिसके द्वारा दिनेश कुमार का भट्टा किराये पर लिया गया और उसको ही वादिनी द्वारा ईंटों के रूपये दिये जाने तथा भट्टे में घाटा पड़ जाने के कारण भट्टा छोड़कर भाग जाने पर अरूण कुमार व दिनेश कुमार के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने पर विवेचना से नामित दिनेश कुमार का मु.अ.सं. 285/19 में नामजदगी झूठी पाये जाने के साथ–साथ अभियुक्त अरूण के विरूद्ध मु.अ.सं. 285/19 धारा 406 भा.द.सं. व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अपराध पाये जाने का आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है। मुकदमा वादिनी को अभियुक्त दिनेश द्वारा उसी मुकदमे में फैसले के लिए बुलाये जाने जबकि उक्त अभियोग में अभियुक्त दिनेश का नाम विवेचना से झूठा पाते हुए अभियोग से पृथक किया जा चुका था। उपरोक्त तथ्य प्रकाश में आने पर विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य न पाते हुए अंतिम रिपोर्ट संख्या 50/2020 माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी। वादिनी मुकदमा द्वारा अंतिम रिपोर्ट संख्या 50/2020 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2021 को स्वीकार करते हुए विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट सं0 50/2020 को निरस्त कर उपरोक्त मामले में अभियुक्त दिनेश कुमार को अंतर्गत धारा 354, 342 व 504 भा. द.सं. व धारा 3(2)(5ए) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में विचारण हेतु तलब किया गया।

(4) अभियुक्त दिनेश कुमार के विरूद्ध दिनांक 10.11.2022 को अंतर्गत धारा 354, 342, 504 भा.द.स. व धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अपराध में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोपित आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की याचना की गयी।

(5) अभियोजन की ओर से अपने अभिकथन व आरोप को सिद्ध करने के लिए 02 साक्षीगण यथा अभियोजन साक्षी सं. 1 श्रीमती रामश्री व अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 2 शंकर लाल को परीक्षित कराया गया है।

(6) अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क्र. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र
1	पी.डब्लू. 1	रामश्री	प्रदर्श क–1 प्रदर्श क–2 प्रदर्श क–3	प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. रजिस्टर्ड रसीद बयान धारा 164 द.प्र.सं.
2	पी.डब्लू. 2	शंकर लाल	–	–

(7) अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षीगण के बयान के संबंध में कहा कि गलत बयान दिया है। उसे झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है।

(8) अभियोजन की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू. 1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, परन्तु इस साक्षी द्वारा अपनी जिरह में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त साक्षी पी.डब्लू. 2 अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, परन्तु मात्र इस कारण से साक्षीगण के साक्ष्य को पूर्णरूप से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता, अपितु साक्षीगण के साक्ष्य का वह अंश जो अभियोजन कथानक को संबल प्रदान करता है, साक्ष्य में पूर्णरूप से ग्राह्य है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पूर्णतः साबित है। अतः उन्हें दोषसिद्ध किया जाये।

(9) अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण से अभियोजन कथानक सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि साक्षी पी.डब्लू. 1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित किये जाने से इन्कार किया गया है तथा साक्षी पी.डब्लू 2 द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक से इतर कथन करने पर वह पक्षद्रोही घोषित हो गया है। अतः उपरोक्त तर्क के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

(10) उपरोक्त में अभियोजन पक्ष द्वारा व अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा, जो तर्क प्रस्तुत किये गये है। उस आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया। विधितः अभियोजन पर भार है कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप का विश्वसनीय साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करें।

(11) अभियुक्त पर वादिनी की ओर यह आरोप है कि दिनांक 10.02.2022 को समय 11 बजे, वाहद ग्राम बिठौराकलां, थाना गजरौला, जिला पीलीभीत पर अभियुक्त ने वादिनी रामश्री, जो अनुसूचित जाति की सदस्या है, की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से अश्लील छेडछाड़ कर आपराधिक बल का प्रयोग किया, उसका सदोष परिरोध किया, गंदी गंदी गालियां दी, जनता के लोकदृष्टि स्थान पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया तथा जान से मारने की धमकी देकर प्रकोपित किया गया।

(12) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में साक्षी **पी0डब्लू0 1 रामश्री** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''मैं सम्मन पर साक्ष्य देने हेतु उपस्थित आयी हूॅ। घटना हुये साढ़े पांच साल का समय हो गया है। घटना 11.00 बजे दिन की है। दिनेश ने मुझे अपनी दुकान पर बुलाया था और कहा कि दुकान पर आओगी तो तुम्हें पैसे देंगें। दिनेश ईंट का भट्टा चलाते हैं। मैंने इन्हें ईट के लिए पैसे दिये थे। दिनेश ने मुझे दुकान में बने कमरे में बैठाया। मैं वहां बैठ गयी। दिनेश ने मेरे साथ बलात्कार किया और कहा कि धनकुनिया यदि शोर करेगी तो तुझे जान से मार देंगें। मैंने जब शोर मचाया तो दिनेश मुझे दुकान में बंद करके भाग गया। दिनेश मुझसे कोरे कागज पर अंगूठा लगवा रहा था लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैंने शोर मचाया तो किसी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैंने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था, मेरा मुकदमा लिखा गया था। मैंने न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र दिया था। मैंने कप्तान साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय में मैंने जो प्रार्थना पत्र दिया था उस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है, जिसे देखकर मैं तस्दीक करती हूॅ, जिसपर प्रदर्श क–1 अंकित किया गया। मैं एस.पी. साहब को डाक के माध्यम से जो प्रार्थना पत्र भेजा था, उसकी रसीद पत्रावली में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जिस पर मेरा निशानी अंगूठा है, जिसपर प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। इससे पूर्व मेरा न्यायालय में वयान हुआ था, पीड़िता ने अपने फोटो और निषानी अंगूठा की तस्दीक की, जिसपर प्रदर्ष क–3 अंकित किया गया। सी.ओ. साहब ने घटना के सम्बन्ध में मुझसे पूछताछ की थी।''

(13) बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि ''दिनेश ने मुझे अपनी दुकान पर नहीं बुलाया था और न ही पैसे देने की बात की थी। दिनेश ईट का भट्टा नहीं चलाते, बल्कि ईंट का भट्टा किराये पर उठाते है। मैंने दिनेश कुमार को ईंट के लिए पैसे नहीं दिये थे। दिनेश ने मुझे दुकान में बने कमरे में नहीं बैठाया था तथा न ही मेरे साथ बलात्कार किया और न ही मुझे जातिसूचक शब्द धनुकुनिया कहा था। मुझे दिनेश ने जान से मारने की धमकी भी नहीं दी थी और न ही मुझे दुकान में बंद किया था। लोगों के कहने पर मैंने दिनेश के उपर मुकदमा लिखवा दिया था। मेरे पति राधेश्याम की ईंटे दिनेश के किरायेदार पर आ रही थी, जिसका हिसाब मेरे पति राधेश्याम ने अपने जीवन काल में ही कर लिया था। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। लोगों ने कहा था कि तुम्हारे पति की ईंटे दिनेश कुमार व उसके किरायेदार पर आ रही है, इसलिए मैंने मुकदमा लिखा दिया था। बाद में मुझे जानकारी हुई कि मेरे पति ने अपने जीवनकाल में ही हिसाब कर लिया था। मेरे उपर दिनेश कुमार ने कोई भी अश्लल हमला नहीं किया था और न ही कोई छेड़छाड़ की, न ही बंधक बनाया। न ही गाली गलौज की थी। पुलिस ने मेरे को बयान नहीं लिये थे। मैंने पुलिस के दबाव व लोगों के कहने पर मजिस्ट्रेट महोदय के सामने बयान दे दिये थे। मुझे जातिसूचक शब्दों से अपमानित नहीं किया था।'' अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' इससे पहले मैं न्यायालय में बयान देने आयी थी। उस दिन जो बयान दिये थे। वह पुलिस और लोगों के कहने के आधार पर दिये थे। मेरा दिनेश के साथ ईंट के पैसे को लेकर कोई विवाद नहीं था। मेरे मृतक पति राधेश्याम के साथ दिनेश के किरायेदार के साथ ईंटों का लेनदेन था। भट्टा चलाने वाले अण के साथ था। मेरे साथ दिनेश ने बलात्कार या छेड़छाड़ की कोई घटना कारित नहीं की और न ही मुझे दिनेश ने गाली गलौज की और न ही दिनेश ने मुझे धनुकुनिया कहकर अपमानित किया था और न ही मुझे दिनेश ने बंधक बनाया था। यह कहना सही है दिनेश मेरे गांव का है और मैं उसे जानती पहचानती हूॅ। दिनेश ने अपना भट्टा चलाने के लिए किसी और के किरायेनामे पर दे रखा हो। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को बचाने के लिए मैं न्यायालय में सही बात न बता रही हूॅ। यह भी कहना गलत है कि भय या लालच के दबाव में बयान दे रही है।''

(14) इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि उसको अभियुक्त ने पैसे देने के लिए अपनी दुकान बुलाया और उसे दुकान में बने कमरे में बैठा दिया, इसके बाद अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया, उसके शोर मचाने पर धनकुनिया कहा तथा जान से मारने की धमकी देकर उसे दुकान में बंद कर भाग गया। इस साक्षी ने बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक से विपरीत कथन करते हुए कहा कि दिनेश ने उसे अपनी दुकान पर नहीं बुलाया था और न ही पैसे देने की बात की थी। दिनेश ने उसे दुकान में बने कमरे में नहीं बैठाया था तथा न ही उसके साथ बलात्कार किया और न ही उसे जातिसूचक शब्द धनुकुनिया कहा और न ही जान से मारने की धमकी दी और न ही दुकान में बंद किया। लोगों के कहने पर उसने दिनेश के उपर मुकदमा लिख दिया था। उसके उपर दिनेश कुमार ने कोई भी अश्लील हमला नहीं किया और न ही कोई छेड़छाड़ की, न ही बंधक बनाया, न ही गाली गलौज की थी। अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में भी इस साक्षी ने कहा कि वह इससे पहले न्यायालय में बयान देने आयी थी। उस दिन जो बयान दिये थे, वह पुलिस और लोगों के कहने के आधार पर दिये थे। उसका दिनेश के साथ ईंट के पैसे को लेकर कोई विवाद नहीं था। उसके साथ दिनेश कुमार ने बलात्कार या छेड़छाड़ की कोई घटना कारित नहीं की और न ही उसे गाली गलौज की और न ही उसे धनुकुनिया कहकर अपमानित किया और न ही उसे दिनेश ने बंधक बनाया। इस प्रकार स्वयं वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने एवम् उसके विपरीत साक्ष्य दिये जाने से अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

(15) जहां तक पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. प्रदर्श क–3 का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि यह बयान उसके द्वारा लोगों व पुलिस के बताने के आधार पर दिया गया था। इस प्रकार पीडिता द्वारा अपनी साक्ष्य में स्पष्टतया यह कथन किया गया है कि उसके द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. में जो वृतांत बताया गया है वह लोगों व पुलिस के बताने पर बताया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा धारा 164 द.प्र.सं. से भी अभियोजन कथानक को कोई समर्थन प्राप्त नही होता है। इसके अतिरिक्त धारा 164 द.प्र. सं. का साक्ष्य मात्र सम्पुष्टि एवं विरोधाभास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, मात्र धारा 164 द.प्र.सं. के साक्ष्य के आधार पर कोई निश्चयात्मक निष्कर्ष नही दिया जा सकता है। जैसा कि विधिव्यवस्था 2010(2) J.I.C 761 (SC) Baij Nath Saha Vs State of Bihar में अभिनिर्धारित किया गया है कि Statement under section 164 Cr.P.C is not substantive evidence and can be used only to corroborate or contradict the witness.

(16) अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी **पी0डब्लू0 2 शंकर लाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि'' रामश्री पत्नी स्व0 राधेश्याम को मैं नहीं जानता, किस गांव की है। मैं नहीं जानता। मैं बिठौराकलां का हू। रामश्री के साथ कोई घटना हुई हो, मुझे जानकारी नहीं है। मैं दिनेश कुमार पुत्र प्रेमशंकर को जानता हूॅ। दिनेश कुमार मेरे गांव का है। पुलिस ने घटना के संबंध में मुझसे कोई बातचीत नहीं की थी एवं पूछताछ नहीं की।''' इस स्तर पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि'' मैं दिनांक 10.02.2020 को खेत पर था। मैं सुबह आठ नौ बजे खेत पर चला गया था और शाम को पांच छह बजे घर आया था। दिनेश के खिलाफ किसी ने मुकदमा लिखाया या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। दिनेश ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे खिलाफ रामश्री ने मुकदमा लिखा है। मुझे मुकदमे के बारे में जानकारी नहीं थी। समन आने पर मुझे इस मुकदमे की जानकारी हुयी है। दिनेश की सरिया सीमेंट की दुकान थी। अब यह दुकान पर नहीं बैठते है, इनके भैया बैठते है। मैं दिनेश की दुकान से कभी भी सरिया, सीमेंट नहीं लिया था। गवाह को धारा 161 सी.आर.पी.सी. का पढ़कर सुनाया गया, तो गवाह ने कहा कि दिनेश के खिलाफ किसने मुकदमा लिखा था, मुझे जानकारी नहीं है। मैं रामश्री को नहीं जानता हूॅ। गवाह ने कहा कि पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी। मेरा बयान कैसे लिखा मैं नहीं बता सकता। समन आने पर जानकारी हुई। यह कहना सही है कि दिनेश मेरे गांव का है। मैं उसे जानता पहचानता हूॅ, लेकिन यह कहना गलत है कि जानने पहचानने के कारण आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हो। यह भी कहना गलत है कि भय एवं लालच में सही बात न बता रहा है।'' बचावपक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा निल की गयी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने एवम् उसके विपरीत साक्ष्य दिये जाने से अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

(17) इस प्रकार अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण ने अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करने, उसे बंधक बनाने, गंदी गंदी गालियां देने तथा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए साशय गंदी–गंदी गालियां देकर जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर अपमानित किये जाने के तथ्य को नकारा गया है। उपरोक्त साक्षीगण की प्रतिपृच्छा मे भी ऐसा कोई तथ्य निकलकर नही आया है जिससे अभियोजन कथानक को किसी प्रकार का समर्थन मिलता हो। पत्रावली पर एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अपराध कारित करने तथा अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित करने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

(18) इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त दिनेश कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोपों अंतर्गत धारा 354, 342, 504 व 506 भा.

द.स. व धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्द्वारा विशेष वाद संख्या 152/2021 में अभियुक्त दिनेश कुमार को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 354, 342, 504 व 506 भा.द.स. व धारा 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व उन्मोचित किया जाता है।

इस मामले में अभियुक्त धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल जमानते अगले छह माह तक लिए प्रभावी रहेगा और अभियुक्त तथा उनके जामिनान उक्त जमानत से अबाध्य रहेंगे।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 12.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 12.03.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।